

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म की तारीख
में जारी हुआ
प्राथमिक
प्राथमिक
2

21.6.22

पत्रावली पेश हुई। पीनपीन अधिकारी दीगज कार्यों में प्रत्येक दिन इलतबा होकर पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 23/6/22 को पेश हो।

23.6.22

पत्रावली पेश हुई प्राथमिक वकील 350।
वि. प्राथमिक के समान Reg. नं. से पूर्व में पेश किये गये। जिनकी राजिलेडी अफाफ, Reg. नं. को अधिक समय लेने से लाजिलेडी 250 माना गया। वि. प्राथमिक की और से कोई 350 नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही- अमान से लाजिलेडी है। प्राथमिक वकील के उक्त अनवान पर वहल सुनी 250 प्रतावकी का अध्ययन अवलोकन एवं वहल पर मन न किया गया। प्रतावकी के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सही करने योग्य है।
अतः नैसर्गिक बड़ी निर्णय अवगत लिखा जाकर साक्षिक प्रतावकी किया जाता है प्रतावकी फैलल सुमार ले कर दाखिल इफ्तल हो।
संख्या एक से 67 हो।
A/16

नख्त
अहकाम
हुकम की ताल
में जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पांचाराम पुत्र लछाराम 2. गोरधन पुत्र लछाराम 3. बीजल पुत्र लछाराम 4. किस्तुरा पुत्र लछाराम जाति भील निवासी आलु का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. हासम पुत्र सुल्तान 2. लुतुब पुत्र पठाई 3. करीम पुत्र जादम जाति मुसलमान निवासी आलु का तला 4. इसरा पुत्र भीमा 5. मोहन पुत्र हरचंद जाति भील 6. रवा पुत्र देवदान जाति भील निवासी चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 248/2018 दिनांक : 23.06.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा आलु का तला के खेत खसरा संख्या 146 रकबा 36.01 बीघा, खसरा संख्या 153 रकबा 41.08 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



Bless
(रामजी भाई केलवी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दिनांक 23/06/22

संख्यांक भू.अ./2022/ 725-30
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण पांचाराम पुत्र लछाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण हासम पुत्र सुल्तान वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

Bless
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
जस्व आवेदन सं. 248/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पांचाराम वगैरा बनाम हासम वगैरा
पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थीगण वकील - जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक - 23.06.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा आलु का तला के खेत खसरा संख्या 146 रकबा 36.01 बीघा, खसरा संख्या 153 रकबा 41.08 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा किरम बरानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा आलु का तला के खेत खसरा संख्या 146 रकबा 36.01 बीघा, खसरा संख्या 153 रकबा 41.08 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा किरम बरानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SNO) सेड़वा